एतिकाफ की शर्तें

﴿ شروط الاعتكاف ﴾

[*हिन्दी* - **Hindi** - هندي]

इफ्ता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति

अनुवादः अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

2010 - 1431

islamhouse.com

﴿ شروط الاعتكاف ﴾

« باللغة الهندية »

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

2010 - 1431

islamhouse.com

بسم الله الرحمن الرحيم

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत दे दे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

एतिकाफ की शर्तें

प्रश्नः

एतिकाफ की शर्तें क्या हैं, और कया रोज़ा उन्हीं में से है ? और क्या एतिकाफ करने वाले के लिए किसी बीमार की ज़ियारत करना, या दावत स्वीकार करना, या अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करना, या किसी जनाज़ा के पीछे जाना, या काम के लिए जाना जाइज़ है ?

उत्तरः

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान अल्लाह के लिए योग्य है।

एतिकाफ करना उस मस्जिद में धर्म संगत है जिस में जमाअत के साथ नमाज़ होती है, और यदि एतिकाफ करने वाला ऐसे लोगों में से जिन पर

जुमा की नमाज़ अनिवार्य है और उस के एतिकाफ की अवधि के दौरान कोई जुमा पड़ता है, तो ऐसी मस्जिद में एतिकाफ करना सर्वश्रेष्ठ (बेहतर) है जिस में जुमा की नमाज़ होती है।

उसके लिए रोज़ा ज़रूरी नहीं है।

सुन्नत का तरीक़ा यह है कि एतिकाफ करने वाला अपने एतिकाफ के दौरान किसी बीमार की ज़ियारत न करे, दावत स्वीकार न करे, न अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी करे, न किसी जनाज़ा में हाज़िर हो, और न ही मस्जिद से बाहर अपने काम के लिए जाये। क्योंकि आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से वर्णित है कि उन्हों ने फरमाया : **"एतिकाफ करने वाले के लिए सुन्नत यह है कि वह किसी बीमार की ज़ियारत न करे, किसी जनाज़ा में हाज़िर न हो, किसी महिला को न छुए और न उस से संभोग करे, और न ही किसी ज़रूरत के लिए निकले सिवाय इसके कि वह उसके लिए आवश्यक हो।"**[1]

देखिये : **फतावा इफ्ता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति (10/410).**

[1] इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है 2/836–837, हदीस संख्या : 2473, तथा इसके शब्द उन्हीं के हैं, दारकुत्नी 2/201, बैहक़ी 4/315–316, 320, 321.